



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 129 / SEIAA/2022

Date: 9/4/22

प्रति,

सदस्य सचिव,

SEAC,

अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

विषय:- प्रकरण क्र. 8694/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी- मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 239 भाग, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 699वी बैठक दिनांक 29.12.2021 एवं 705 वी बैठक दिनांक 15.02.2022 लिये गये निर्णय उपरांत सिया 715 वी बैठक दिनांक 25.3.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

हालही में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 को भोपाल जिले के मालीखेड़ी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के समाचार प्रकाशित हुए थे। उक्त प्रकरण भी मालीखेड़ी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने के पूर्व जिला स्तर पर एक दल गठित कर स्थल निरीक्षण कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाना उचित होगा कि उक्त प्रस्तावित खदान क्षेत्र में वगैर पर्यावरण स्वीकृति के अवैध उत्खनन हुआ है अथवा नहीं। जॉच दल से 15 दिवस की अवधि में प्रतिवेदन प्राप्त कर SEIAA को वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु जिला कलेक्टर भोपाल को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित विभाग से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः प्रकरण को डिलिस्ट किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 15.03.2022 के माध्यम से नोटराइज्ड सपथ पत्र पर प्रस्तुत किया गया है कि इसके द्वारा कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है एवं प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Relist किया जाकर नस्ती आपकी ओर प्रेषित है। प्रकरण की तकनीकी नस्ती अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

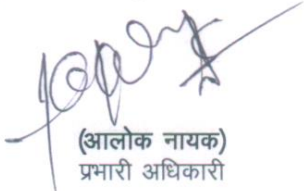

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 130 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक -

9/4/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. कलेक्टर, जिला - भोपाल (म.प्र.)
4. वन मंडलाधिकारी, जिला - भोपाल (म.प्र.)
5. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
6. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
7. जिला खनिज अधिकारी, जिला - भोपाल (म.प्र.)
8. श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी- मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी